

प्रेषक,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमती नीलम पाण्डेय, (प्रदेश महामंत्री)

महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ,

उ०प्र०, 41/557, डा० तुफैल अहमद मार्ग,

लोहिया भवन नरही, लखनऊ।

पत्रांक :-

/बा०वि०परि०/ आ०वा०स्था०/संघ/2017-18 दिनांक:- 13 अक्टूबर, 2017

विषय :-

महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उ०प्र०, 41/557, डा० तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया भवन नरही, लखनऊ द्वारा दिनांक 21.10.2017 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने के पत्र दिनांक 09.10.2017, जो मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० सरकार, को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 21.10.2017 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है प्रदेश मुख्यालय पर शासन द्वारा धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गयी है, इस लिए धरना प्रदर्शन किये जाने की अनुमति शासकीय कार्य हित में दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए अपने-अपने जनपद में जाकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करे अन्यथा "No work No Pay" के सिद्धांत पर मानदेय का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन

5181

/तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
- 2- जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारी को पत्र इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद से कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी आंगनबाड़ी/सहायिका अपने पदीय कर्तव्यों को छोड़ कर धरना प्रदर्शन में शामिल न हो।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

प्रेषक,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमती प्रभावती देवी, (प्रदेश महामंत्री)
आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उ०प्र०,
कार्यालय 11 अशोकमार्ग हजरतगंज, लखनऊ।

पत्रांक :- /बा०वि०परि०/ आ०बा०स्था०/संघ/2017-18 दिनांक:- 13 अक्टूबर, 2017

विषय :- आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उ०प्र०, कार्यालय 11 अशोकमार्ग हजरतगंज, लखनऊ को लक्ष्मण मेला मैदान में दिनांक 11.10.2017 से धरना प्रदर्शन की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 06.10.2017, जो प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन, को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 11.10.2017 से लक्ष्मण मेला मैदान में धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए सूचित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है प्रदेश मुख्यालय पर शासन द्वारा धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गयी है, इस लिए धरना प्रदर्शन किये जाने की अनुमति शासकीय कार्य हित में दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए अपने-अपने जनपद में जाकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करें अन्यथा "No work No Pay" के सिद्धांत पर मानदेय का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन

5180

/तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
- 2- जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारी को पत्र इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद से कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी आंगनबाड़ी/सहायिका अपने पदीय कर्तव्यों को छोड़ कर धरना प्रदर्शन में शामिल न हो।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक